न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 113/2020 (GCMS No. 2020/00113) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामजी लाल पुत्र नाथू माली निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. रामनारायण पुत्र नाथू जाति माली निवासी रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर।
2. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 30.09.2013 मि.नं. 599/13 उनवान सरकार बनाम रामजी लाल एवं आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 07.10.2014 मुकदमा नं. 265/13 उनवानी रामजी लाल बनाम सरकार।

उपस्थिति:–

1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 13.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 07.10.2014 एवं नायब तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 30.09.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत् 2070 में वांके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर की आराजी खसरा नम्बर 923 रकवा 0.10 हैक्टे. तथा खसरा नम्बर 925 रकवा 0.10 हैक्टे. भूमि किस्म सिवायचक पर खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर 99 रूपये अर्थदण्ड एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अपील पेश की, जिसे दिनांक 07.10.2014 को खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व परिस्थितियों को अनदेखा करते हुये मनमाना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत् 2070 में वांके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर की आराजी खसरा नम्बर 923 रकवा 0.10 हैक्टे. तथा खसरा नम्बर 925 रकवा 0.10 हैक्टे. भूमि किस्म सिवायचक पर खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी द्वारा की जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर 99 रूपये अर्थदण्ड एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अपील पेश की जिसे दिनांक 07.10.2014 को खारिज कर दिया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 923 व 925 रकवा 0.20 हैक्टे. प्रार्थी के पिता नाथू पुत्र रोडया को आवंटित भूमि है, जो दिनांक 27.06.1976 को आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा आवंटित हुई थी। जिसके नये नम्बर 923 व 925 बने हैं। मिलान क्षेत्रफल चालू जमाबन्दी की नकल, नया व पुराना नक्शा ट्रेस सहित प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, जिससे स्पष्ट है कि आराजीयात प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि हैं। राजस्व अधिकारियों की भूल से प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में अंकन नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करने के कारण गत दिनों सम्पन्न हुये सेटलमेंट कार्य में प्रार्थीगण के पिता के नाम तो चढा दिया गया परन्तु अब तक सेटलमेंट के बाद नयी जमाबन्दी नहीं आई है। इस कारण यह आराजीयात सिवायचक ही बोल रही है। इसलिए ही पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के विरूद्ध फोरी रूप से रिपोर्ट पेश कर दी। पूर्व में भी सम्वत 2011 में प्रार्थीगण के विरूद्ध इसी प्रकार पटवारी हल्का ने नोटिस देकर कार्यवाही की थी जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार स.मा. व जिला कलक्टर स.मा. द्वारा सिविल कारावास की सजा का निर्णय दिया गया था जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर को की गई जिसे स्वीकार कर सजा निरस्त करने का निर्णय दिनांक 07.04.2014 को दिया गया। उक्त निर्णय की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय को पेश कर दी। पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवर्ष एक फसल की पेनल्टी प्रार्थीगण से ली जाती रही है। प्रार्थीगण प्रतिवर्ष जमा कराते आये हैं। कभी भी न तो हमें इस भूमि से बेदखल किया गया और न ही कोई बेदखली की कार्यवाही मौके पर जाकर की गई। प्रार्थीगण ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही पूर्व में अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने बिना किसी आधार के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 30.09.2013 एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 07.10.2014 द्वारा दी गई सिविल कारावास व अर्थदण्ड की सजा को निरस्त की जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।
5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 923 रकवा 0.10 हैक्टे. व 925 रकवा 0.10 हैक्टे. चारागाह भूमि वांके ग्राम रामसिंहपुरा पर संवत् 2070 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी नोटिस की विधिवत व्यक्तिगत तामील हुई है। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि बयान हल्का पटवारी के आधार पर होती है। जहॉ तक विवादित भूमि के आवंटित होने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने का कथन है तो इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश किया है जिससे विदित होता हो कि उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने बावत् किसी सक्षम प्राधिकारी के यहॉ कोई कार्यवाही की गई हो। जब तक राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं आता जब तक उसे विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में ही माना जावेगा। पश्चातवर्ती अतिक्रमण राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 30.09.2013 एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 07.10.2014 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर